न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2017

कश्मीरो देवी पुत्री लालचन्द पत्नी बालकराम जाति चौधरी निवासी 20ए–ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति चौधरी निवासी टीका कोला तहसील नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।
2. स्टेट आफ राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ

दिनांक 13.12.2016

उपस्थिति–

श्री मनीराम शर्मा अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 22/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया कश्मीरो देवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वादपत्र पेश कर कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता लालचन्द को पौंग बांध विस्थापित श्रेणी में चक 20 ए(ए) तहसील अनूपगढ का मु.नं. 311/452 के 25.10 बीघा पुख्ता आवंटित हुई थी। वादीया ने वाद पत्र बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र की उपमद "क" से "ग" अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।

(A) स्टेट की तरफ से राजपैरोकार एवं नायब तहसीलदार अनूपगढ ने जबाब पेश किया।

(B) प्रतिवादी सुरेश कुमार ने प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वादी का वाद श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(C) वादी ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी का प्रा.पत्र जो बिना किसी आधार के जबाब दावा से पूर्व पेश किया गया है को निरस्त फरमारया जावे और वादिया को धारा 35(बी) व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत हर्जाना दिये जाने के आदेश प्रदान करे।

(D) उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 28.09.2007 को वादी का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त कर दिया।

(E) उक्त आदेश से व्यथीत होकर वादीया/अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील सं. 158/2017 बअनवान कश्मीरो देवी बनाम राज.सरकार व अन्य पेश की। उक्त अपील इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.05.11 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को रिमाण्ड किया गया।

(F) दिनांक 22.11.2011 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में पत्रावली पेशी में लेकर पक्षकारों को तलब करने का आदेश दिया।

(G) प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 18.05.12 जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वादिया का वाद खारिज किया जावे। इसके अलावा प्रतिवादी ने प्रकरण में दिनांक 09.09.15 को लिखित बहस भी पेश की है।

(H) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने अपने आदेश दिनांक 13.02.2016 से वाद वादिया अपने जिम्मे की तनकी सं. 1 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होने के कारण निरस्त किया है।

(I) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य,

विधिक प्रकिया, विधिक प्रावधानों, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों व न्यायिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत अवेध व त्रुटिपूर्ण वा गलत होने के कारण काबिल अपास्त होने के है तथा वाद वादीया/अपीलांट काबिल स्वीकार होने योग्य है। वादीया ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी वा मौखिक साक्ष्य से अपने पक्ष में तनकी सं. 1 को साबित किया है। वादीया के पक्ष में हुई वसीयत प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने पक्ष में तैयार की गई तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 25.03.94 के पश्चात दिनांक 10.05.94 की है जिसे प्रतिवादी सं. 1 ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज होने संबंधी कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है और न ही उसे निरस्त करवाने की कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में की गई है। वादीया वा वसीयत के गवाहान की साक्ष्य से वसीयत पूर्णतया वादीया के पक्ष में साबित हो जाती है जिसे बिना किसी आधार के कूटरचित नहीं मानी जा सकती है। अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात का सही विवेचन कर निर्णय नहीं किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3. इस मामले में रेस्पों. बाबजूद अखवार साया के अनुपस्थित। हमने अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

(i) प्रकरण में विवाद भाई–बहन के बीच पिता की सम्पत्ति को लेकर मुख्यतः वसीयत के प्रश्न को लेकर विवाद है।

(ii) यह प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अधी. न्यायालय द्वारा वसीयत के प्रश्न को सिविल प्रकृति का मानते हुए पूर्व में वसीयतों के कूटरचित होने या गलत होने के प्रश्न को सिविल न्यायालय से तय कराने के प्रश्न पर दिनांक 28.09.2007 को आ0 7 नि0 11 सीपीसी के तहत खारिज किया, जिसकी अपील इस न्यायालय में की गई। इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.05.2011 द्वारा प्रकरण अधी. न्यायालय को उक्त बिन्दु का विवाद्यक विरचित कर निर्णय करने हेतु अधी. न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(iii) फलस्वरूप अधी. न्यायालय द्वारा पुनःदिनांक 13.12.2016 को तनकी विरचित कर वसीयत के प्रश्न पर वादीया/अपीलांट के पक्ष में वसीयत के अनुप्रमाणित साक्ष्यों द्वारा परीक्षित नहीं करवा पाने पर वाद वादीया निरस्त कर दिया जो अनुचित क्षेत्राधिकार का प्रयोग है। यह प्रश्न सिविल न्यायालय की अधिकारिता का है।

(iv) इस मामले में दो वसीयतें हैं:–
पहली वसीयत दिनांक 25.03.94 की है जो प्रतिवादी(माई के पक्ष में) दूसरी वसीयत जो पश्चातवर्ती है दिनांक 10.05.94 की वादीया के पक्ष में है। यह सही है कि दोनों वसीयतें उनके पिता द्वारा करायी गई है।

(v) विधि की उपधारणा है कि यदि पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वसीयत में विवाद हो तो पश्चातवर्ती वसीयत के सही होने की उपधारणा की जाती है।

(vi) वादीया अपने पक्ष में पिता द्वारा गंगानगर में रजिस्टर्ड करायी गई वसीयत की सत्यप्रति पेश नहीं कर पायी। क्योंकि उसके अनुसार वह चोरी हो गई, जिसकी उसने एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी।

(vii) प्रतिवादी की वसीयत पूर्ववर्ती है जो उसके पिता द्वारा हिमाचल प्रदेश में करायी गई कही गई है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर न्यायालय ने उसके पक्ष में तनकी सं. 2 निर्णित की है जो उचित नहीं है।

(viii) हमारे मन्तव्य में जहां मूल दावा वसीयत के आधार दोनों पक्षों द्वारा पृथक–पृथक वसीयत पेश करके दावाकृत अनुतोष चाहा गया है तथा दोनों वसीयतों में एक पश्चातवर्ती वादी व पूर्ववर्ती प्रतिवादी के पास है। तब जहां कि पश्चातवर्ती वसीयत चोरी हो गई बताई, किन्तु उसकी प्रति पेश की गई हो व चोरी होना व उसकी एफ. आई.आर. दर्ज होना बताया, गया तो इस विवाद का निर्णय राजस्व न्यायालय को करने हेतु प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।

(ix) यह विद्यादक प्रश्न सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वह वसीयत के सही होने की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय अपीलांट /वादी को वाद दायर करके निर्णय प्राप्त करना चाहिए।

(x) प्रकरण राजस्व न्यायालयों में पिछले 12 वर्षों से अनावश्यक रूप से विचाराधीन रहा है। लिहाला अपील अंशतः स्वीकार करते हुए अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप न करते हुए तथा वादी को निर्देश प्रदान करना उचित समझते हैं:–
(अ) वह सक्षम सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में वाद दायर कर अपने पक्ष में वसीयत के सम्बन्ध में घोषणा करवायें।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(ब) प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत (पूर्ववर्ती) के आधार पर हुए नामान्तरणकरण की अपील सक्षम राजस्व न्यायालय में करें।

अपील अपीलांट उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर